दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्वन्धित सामान्य जानकारी १ शुक्रवार, 20 जनवरी,1995 / 30 पौष,1916 १ृंशंकरू

संख्या. 147

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्वोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उत्तरो क्षेत्र दिल्लो का दिनांक 18 । 1995 का निम्नलिखित पत्रं उसी दिन अंथात् 18 जनवरी, 1995 को प्राप्त हुआ था :-

" मुझे आपको यह सूचित करने का सम्मान मिला है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत अपनी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निदेश देना अपना कर्ताच्य समझा की श्री शोख इकवाल, विधायक को उनके समर्थकों सहित सड़क अवरुद्ध करने से वाज़ आने के लिये और यातायात के सहज आवागमन में बाधा न डालने सम्बन्धी पुलिस के विधि सम्मत् निदेशों को न मानने के लिये विधनोई धर्मशाला के निकट मैटकाफ़ हाउस से हटाया जाए।

तदुनुसार उक्त विधायक को विश्वनोई धर्मशाला के निकट मैटकाफ़ हाउस रोइ, सिविल लाइन्स, दिल्लो से हटाकर इन्द्रपृष्ट्थ कालेज के निकट सड़क पर अपराह्न 2.50 वजे से अपराह्न 3.55 वजे तक केंवल । घंटा 05 मिनट नज़रवन्द रखा गरा और यातापात में किसोप्रकार का वाधा न डालने के लिये और शान्तिपूर्वक तितर-वितर होने के लिये उनका और उनके समर्थकों के सहमत होने के बाद उसी दिन अपराह्न 3.55 वजे रिहा किया गरा ।

पी. एन. गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative and other matters) Friday, January 20, 1995/Pausa 30, 1916 (Saka)

No.147

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated 18.1.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Addl. Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi was also received on the same day i.e. 18th January, 1995:

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in exercise of my powers under section 65 of Delhi Police Act, 1978, to direct that Shri Shoaib Iqbal, MLA removed from Matcaf House near Bisnoi Dharmshala for not obeying the reasonable direction of Police to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of traffic alongwith his followers.

The above MLA was accordingly removed from Matcaf House Road near Bisnoi Dharmshala, Civil Lines, Delhi at 2.50 p.m. to 3.55 p.m. detained at road side near I.P. College for only 1.05 hrs. and released on the same day at 3.55 hrs. after he and his followers agreed not to cause any further obstruction to traffic and to disperse peacefully."

P.N. GUPTA SECRETARY